न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
321/2024	31/07/2024	07/08/2025

– उनवान –

1. लालूराम पुत्र लादूराम जाति मीना उम्र 80 साल निवासी ग्राम दोलतपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर राज0। **प्रार्थी**

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर। **अप्रार्थी**

उपस्थित अभिभाषक
श्री किशनलाल – वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र सार्वजनिक रास्ता को रिकार्ड में अंकन करवाने बाबत् अन्तर्गत धारा 131, 132 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) अधि0 1957 के नियम 58, 59, 60 (एच), 86 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री किशनलाल के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दोलतपुरा पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर राज0 में प्रार्थी व ग्रामवासीयों को आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 140 से 4 व अन्य खसरों की सीमा से लगवा कदमी व पकढण्डीनुमा सार्वजनिक आम रास्ता मौके पर बना हुआ है व मौके पर चालू है। जो कि राजस्व नक्शा में डोटरलाईन से दर्शित किया हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4 तक आने जाने के लिये के चारों ओर अन्य कोई राजस्व नक्शों में रास्ता नही है। प्रार्थी आने जाने के लिये खसरा नम्बर 140 की सीमा से चालू होकर खसरा नम्बर 138 में से होकर खसरा नम्बर 4 की सीमा पर होकर व आगे तक 20 फिट चौडा बाराहमासी सार्वजनिक आम रास्ता विगत कई सालों से मौके पर चालू है तथा नक्शा में डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है। राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 में नक्शों में दुरूस्ती करने के प्रावधान है तथा राजस्थान सरकार ने रास्ते हेतु नक्शों में संशोधन करने हेतु राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के संयुक्त शासन सचिव द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 02.04.2008 को संशोधन कर नियम 60 (एच) जोडी गयी है एवं जिस आधार पर नक्शों में राजकीय भूमि होने की स्थिति में चालू रास्ते का राजस्व जमाबन्दी व नक्शों में अंकन कर पृथक से खसरा नम्बर बनाया कर गेर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अतः ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर राज0 स्थित प्रार्थी व आमजन को बिना वाद विवाद शान्तिपूर्वक आने जाने के लिये जो कि मौके

Scanned with OKEN Scanner

पर बारहमासी व पकढण्डीनुमा रास्ता चालू है व नक्शा में डॉटेड लाईन से दर्शित किया हुआ है। जिसको अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) अधि0 1957 के नियम 60 (एच) एवं सपठित 151 सीपीसी के अधीन संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 140 की सीमा पर से खसरा नम्बर 138 के बीच मे से व खसरा नम्बर 4 की सीमा तक 20 फिट चौडा सार्वजनिक आम रास्ता का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा में पृथक से खसरा नम्बर अंकन किया जाकर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किया जावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गय अप्रार्थी (पैरोकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2024/830 दिनांक 29.10.25 पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक मौका स्थिति अनुसार ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 138/1, 138, 03 में से होकर खसरा नम्बर 04 की सीमा तक 10–12 फीट चौडा कच्चा रास्ता स्थित है जो वर्तमान में मौके पर कच्चे रास्ते के रूप में चालू है उक्त रास्ता आगे भी अन्य खसरा नम्बरान 91, 89, 88, 144 वगै0 में से गुजर रहा है, जो वर्तमान में मौके पर चालू है मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 138/1 रकबा 0.11है0 किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नमबर 138 रकबा 4.95है0 किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 03 रकबा 1.60है0 किस्म बंजड सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 91, 88, 89, 144 खातेदार भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व नक्शा शीट अनुसार ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 04 के चारों ओर खसरा नम्बर 3,5, 6, 7 स्थित है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त खसरा नम्बर 3, 5, 6, 7 में वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है।

अतः बहस वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6 पार्ट दिनांक 10 अगस्त, 2016 का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गतध धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र सार्वजनिक रास्ता को रिकार्ड में अंकन करवाने बाबत् अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131, 132 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) अधि0 1957 के नियम 58, 59, 60 (एच), 86 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 131,132 संपठित भू. अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार राजस्थान सरकार की खातेदारी में तहसीलदार आंधी द्वारा रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नक्शें के अनुसार भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं रास्ते की भूमि के नये खसरा नम्बर डाल कर अंकित किये जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 07.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ